

राजस्थान विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना*

सूचना का अधिकार नियम, 2007

(अधिकृत हिन्दी अनुवाद)

संख्या : 11(6)संस्था/राविस/2005-2007/

दिनांक : 23 अगस्त, 2007

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष जो राजस्थान विधान सभा सचिवालय के सक्षम प्राधिकारी हैं, राजस्थान विधान सभा से संबंधित सूचना प्रदत्त करने के लिए निम्न नियम बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (1) इन नियमों का नाम 'राजस्थान विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार नियम, 2007' है।
- (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :-

- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
 - (क) 'अधिनियम' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है।
 - (ख) 'आयोग' से धारा 15 अधिनियम के अधीन गठित राजस्थान राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है।
 - (ग) 'प्ररूप' से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।
 - (घ) 'फीस' से नियम 5 के अधीन विहित फीस अभिप्रेत है।
- (2) इसमें प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उनको अधिनियम में दिये गये हैं।

3. सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र :-

- (1) कोई व्यक्ति जो राजस्थान विधान सभा सचिवालय से संबंधित सूचना प्राप्त करना चाहता है, वह नियम 5 में विहित फीस के साथ प्ररूप 'A' या इलेक्ट्रॉनिक साधन से लोक सूचना अधिकारी को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।
परन्तु जहां कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है उसे आवेदन पत्र की दिनांक से 7 दिवस के अन्दर विहित फीस संदाय करनी होगी, जिसके असफल रहने पर आवेदन पत्र प्रत्याहृत किया हुआ समझा जायेगा।
- (2) लोक सूचना अधिकारी, सूचना प्राप्त करने के आवेदन पत्र को प्राप्त करने की रसीद प्ररूप 'B' में आवेदक को देगा।

* राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 (ग) उप खण्ड (I) दिनांक 30 अगस्त, 2007 में प्रकाशित

- (3) लोक सूचना अधिकारी आवेदक को उस सूचना के प्रयोजनार्थ जो उसके द्वारा चाही जा रही है प्रपत्र 'C' में अतिरिक्त फीस या प्रभार के बारे में सूचना देगा जो उसके द्वारा नियम 5 के अधीन संदाय किये जाने होंगे।
- (4) नियम 5 के अधीन संदाय की जाने वाली फीस और प्रभार नकद अथवा डी.डी. अथवा पे-आर्डर अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा प्रदत्त किये जायेंगे।
- परन्तु ऐसी फीस और प्रभार उस व्यक्ति द्वारा संदत्त नहीं किये जायेंगे जो गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार से है, यदि ऐसा व्यक्ति आवेदन पत्र के साथ गरीबी की रेखा से नीचे का कार्ड जो तत्समय प्रवृत्त है या इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।

4. आवेदन पत्र का निपटारा :-

- (1) लोक सूचना अधिकारी नियम 5 में विहित अतिरिक्त फीस या प्रभार के संदाय करने पर प्ररूप 'D' में अनुरोध के प्राप्त होने पर 30 दिन में आवेदक को सूचना उपलब्ध करवायेगा या आवेदक को आवेदन पत्र के निरस्त किये जाने की सूचना प्ररूप 'F' जिसमें धारा 8 और 9 अधिनियम में वर्णित कारणों या आधारों का वर्णन होगा, सूचित करेगा।
- (2) उस स्थिति में जहां चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान विधान सभा सचिवालय के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं आती है, वह आवेदन पत्र के प्राप्त होने के 5 दिवस के अन्दर प्ररूप 'E' में ऐसे आवेदन पत्र को संबंधित प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित करेगा और ऐसे अन्तरण के संबंध में तुरन्त आवेदक को सूचित करेगा।
- परन्तु जहां पर मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है वहां पर ऐसे अनुरोध करने पर अथवा आवेदन पत्र की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना दिया जाना अपेक्षित होगा।

5. फीस की दरें :-

अपेक्षित सूचना और दस्तावेज प्राप्त करने के लिए फीस और अन्य प्रभार की दरें निम्न प्रकार से होगी :-

- (अ) आवेदन फीस : 10 रुपये प्रति आवेदन पत्र
- (ब) अन्य फीस एवं प्रभार :-

क्र.सं.	अपेक्षित सूचना का विवरण	कीमत रुपयों में
1.	कोई सूचना जो प्रकाशन के रूप में उपलब्ध है	प्रकाशन की वास्तविक कीमत
2.	अन्य सूचनाएँ/दस्तावेज. - (अ) सूचना जो उपलब्ध करायी जायेगी - (i) ए-4, ए-3 साइज के पेपर में (ii) बड़े आकार के पेपर में (ब) नमूनों या मोडलों या फोटोग्राफ्स के लिए	2 रुपये प्रति पेज वास्तविक लागत की कीमत वास्तविक लागत की कीमत

(स) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए	पहले घण्टे के लिए कोई फीस नहीं और उसके पश्चात प्रति 15 मिनट या उसके भाग के लिए 5/- रु. फीस
(द) फ्लोपी या डिस्कट में दी गई सूचना के लिए जहां कहीं भी संभव है	प्रति फ्लोपी या डिस्कट 50/- रुपये

6. अपील की अन्तर्वस्तु :-

- (1) लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति अथवा कोई भी व्यक्ति जो उप धारा (2) धारा 7 अधिनियम के अनुसार निर्णय प्राप्त नहीं करता है वह प्ररूप 'G' में सूचना प्राप्ति की दिनांक से अथवा निर्णय प्राप्त नहीं होने की स्थिति में 30 दिवस के अन्दर अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नामित पदेन अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा।
- (2) उप नियम (1) के अधीन अपीलगत प्राधिकारी के आदेश से व्यथित अपीलार्थी द्वितीय अपील राजस्थान राज्य सूचना आयोग के जहां पर अपील प्राधिकारी के आदेश प्राप्ति के दिनांक से 90 दिवस के भीतर निम्न विवरणों के साथ प्रस्तुत कर सकेगा-
 - (i) अपीलार्थी का नाम और पता
 - (ii) राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता
 - (iii) आदेश जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है, की संख्या और तारीख सहित विवरण,
 - (iv) द्वितीय अपील के लिये अग्रसर होने के संक्षेप तथ्य,
 - (v) अपील के आधार
 - (vi) अपीलार्थी द्वारा सत्यापन; और
 - (vii) कोई भी अन्य सूचना, जो आयोग अपील का विनिश्चय करने के लिए आवश्यक समझे।
- (3) आयोग को की गई प्रत्येक अपील के साथ, सूचीबद्ध रूप में, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है, की अनुप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां, जिन पर अपील में अपीलार्थी निर्दिष्ट व निर्भर करता है, संलग्न करेगा।

7. अभिलेख का संधारण :-

लोक सूचना अधिकारी, अध्यक्ष के पर्यवेक्षण व निर्देशन में उसे प्राप्त सूचना के आवेदन पत्रों और सूचना प्राप्ति के लिए संग्रहीत फीस के संबंध में सभी अभिलेखों का संधारण करेगा।

8. विविध :-

किसी संदेह का निवारण करने के लिए यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों के अधीन विहित प्ररूप के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे प्राधिकृत छपी हुई सामग्री में हो, परन्तु साफ-सुथरा टाईप किया हुआ हस्तलिखित या इलेक्ट्रोनिक साधन से प्राप्त प्ररूप जो इन नियमों में विहित प्ररूप के आवश्यक विवरणों का समावेश करता है, वैध होगा।

अध्यक्ष के आदेश से,

(जी. एल. चौधरी)

सचिव

राजस्थान विधान सभा

प्ररूप -A
(देखिये नियम 3(1))

सूचना प्राप्त करने का आवेदन प्रपत्र

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान विधान सभा सचिवालय,
जयपुर ।

1. आवेदक का नाम :
2. पूर्ण पता :
3. अपेक्षित सूचना की विशिष्टियां (संक्षेप में) :
4. मैं, एतद्वारा, कथन करता हूँ कि चाही गई सूचना धारा 8 या 9 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना के प्रकटन से छूट में विहित कोटियों में नहीं आती है और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार यह आपके सचिवालय से संबंधित है ।
5. *(1) मैं, एतद्वारा, आवेदन पत्र की विहित फीस की राशि रुपये(शब्दों में रुपये) आपके सचिवालय की आवेदन फीस के भुगतान की रसीद संख्यादिनांक के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ ।
*(2) मैं सचिव, राजस्थान विधान सभा के पक्ष में (नाम) बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या देय फीस के भुगतान के लिए परिवेष्टित कर रहा हूँ ।
*(3) मैं गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवार से आता हूँ। मेरे कार्ड और प्रमाण पत्र की फोटो प्रति इसके साथ परिवेष्टित है ।

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :

ई-मेल का पता यदि कोई हो

टेलीफोन नम्बर (कार्यालय)/(निवास)

ध्यान दें : गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार से आने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की फीस संदाय करने की आवश्यकता नहीं है ।

* जो लागू न हो उसे काट दिया जावे ।

प्ररूप -B
(देखिये नियम 3(2))
आवेदन पत्र की रसीद

ओर से,

लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान विधान सभा सचिवालय,
जयपुर।

रसीद संख्या : दिनांक :

1. सूचना का अधिकार नियम, 2007 के नियम 3(2) के अधीन विहित प्ररूप 'A' में आवेदन पत्र दिनांक को श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी से प्राप्त किया।
2. सूचना 30 दिन की अवधि में उपलब्ध करवा दी जायेगी। किसी भी दशा में, यदि यह पाया जाता है कि अपेक्षित सूचना दिया जाना संभव नहीं है तो कारण दर्शाने वाला या अनुरोध को अस्वीकार करने वाला पत्र जारी किया जायेगा।
3. आवेदक निम्न हस्ताक्षरकर्ता से दिनांक को दिन में 11 बजे से 1 बजे के बीच की अवधि में सम्पर्क कर सकता है। (यहां तारीख का उल्लेख करें जो आवेदन पत्र की प्राप्ति से 30 दिन से ज्यादा की नहीं होगी।)
4. आवेदक के नीयत तारीख पर उपस्थित रहने में असफल होने पर लोक सूचना अधिकारी सूचना देने में विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
5. आवेदक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फीस या प्रभार की बकाया राशि, यदि कोई हो, को सूचना या दस्तावेज के संग्रहीत करने से पूर्व जमा करा देवे।

लोक सूचना अधिकारी

राजस्थान विधान सभा सचिवालय
टेलीफोन नं.
ई-मेल पता
वेब साइट

प्ररूप - C
(देखिये नियम 3(3))

**आवेदक को सूचना और दस्तावेजों के लिए अपेक्षित फीस और प्रभार
जमा कराने की सूचना**

सेवा में,
श्री/श्रीमती/कुमारी,
पता
.....

महोदय/महोदया,

आपका अनुरोध/आवेदन पत्र दिनांक (रसीद संख्या दिनांक
.....) के संदर्भ में मैं कथन करता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि रुपये
(शब्दों में रुपये केवल) जो चाही गई सूचना और दस्तावेजों के संबंध में अपेक्षित है,
को जमा करायें। यह अनुरोध किया जाता है कि राजस्थान विधान सभा सचिवालय में राशि जमा कराने के
बाद अपेक्षित सूचना/दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते हैं।

1. पृष्ठों की कुल संख्या X रु. 2/- प्रति पृष्ठ (ए-3, ए-4, आकार के) रु. =
2. बड़े आकार के पृष्ठों की कुल संख्या (सिवाय ए-3, ए-4, आकार के) रु. =
3. फ्लोपी/डिस्क प्रभार X रु. 50/- प्रति कृति रु. =
4. अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रभार रु. =
5. नमूनों/ मोडलों के लिए प्रभार रु. =

योग रु. =

आपका सद्भावी,

लोक सूचना अधिकारी
राजस्थान विधान सभा सचिवालय
टेलीफोन नं.
ई-मेल पता
वेब साइट

प्ररूप - D
(देखिये नियम 4(1))
आवेदक को सूचना प्रदाय करना

ओर से,

लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान विधान सभा सचिवालय,
जयपुर ।

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी,
पता

महोदय/महोदया,

1. आपके आवेदन पत्र तारीख (रसीद संख्या दिनांक) के संदर्भ में सूचना प्रदाय करने के लिए अनुरोध है ।
- *2. अपेक्षित सूचना का ब्यौरा यहां परिवेष्टित है ।
- *3. चाही गई अपेक्षित सूचना में से, आंशिक सूचना निम्नानुसार प्रदाय की जाती है-
 - (1)
 - (2)
 - (3)
 - (4)
- *4. आपके सूचना प्रदाय करने के अनुरोध के संबंध में, निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज निम्न कारणों से प्रदाय नहीं किये जा सकते हैं :
 - (1)
 - (2)
 - (3)
 - (4)
5. यदि आप उपरोक्त निर्णय से व्यथित हैं, आप अपील अधिकारी (सचिव) राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर के यहां पर निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपील कर सकते हैं ।
6. जो कोई भी सूचना आपको दी जा रही है वह गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार के सदस्य होने से दी जा रही है और इसे किसी अन्य प्रयोग में नहीं लिया जा सकेगा ।

आपका सद्भावी,

(.....)

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

टेलीफोन नं.

ई-मेल पता

वेब साइट

* जो लागू न हो उसे काट दिया जाये ।

प्ररूप - E
(देखिये नियम 4(2))

दूसरे प्राधिकारी से संबंधित आवेदन का स्थानान्तरण किया जाना

ओर से,

लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान विधान सभा सचिवालय,
जयपुर ।

क्रमांक :

दिनांक :

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
पता

महोदय,

कृपया श्री/श्रीमती/कुमारी से प्राप्त आवेदन, प्राप्ति संख्या
..... दिनांक..... को इसके साथ नीचे लिखे कारणों से परिवेष्टित किया जा रहा है ।

अपेक्षित सूचना इस सचिवालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आती है । चूंकि ये आपके विभाग/
कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आती है, इसे इस पत्र के साथ आपको आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु स्थानान्तरित
किया जाता है ।

ये प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने रूपये(रूपयेकेवल) फीस/प्रभार
के अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए संदाय कर दिये हैं जो राजकीय कोष/खाते में जमा करा दिये गये हैं ।

आपका सद्भावी,

(.....)

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

टेलीफोन नं.

ई-मेल पता

वेब साइट

प्रतिलिपि-

श्री/श्रीमती/कुमारी

(आवेदक)

चूंकि आपका अपेक्षित सूचना प्राप्त करने का आवेदन इस सचिवालय के क्षेत्राधिकार में नहीं
आता है, आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त में वर्णित लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क करें ।

प्ररूप - F
(देखिये नियम 4(1))
सूचना की अस्वीकृति का आदेश

ओर से,
लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान विधान सभा सचिवालय,
जयपुर।

क्रमांक :

दिनांक :

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी

पता :

.....

महोदय,

आपके सूचना प्रदाय करने के आवेदन दिनांक प्राप्ति संख्या के संदर्भ में, मैं कथन करता हूँ कि अनुरोध की गई सूचनाएं निम्न कारणों से उपलब्ध नहीं करवायी जा सकती है :-

- (i) अनुरोध की गई सूचना धारा 8 उपधारा या धारा 9 अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त कोटी में आती है।
- (ii) यदि आप उक्त निर्णय से व्यथित हैं, आप सचिव, राजस्थान विधान सभा को इस निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपील कर सकते हैं।

आपका सद्भावी,

(.....)

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

टेलीफोन नं.

ई-मेल पता

वेब साइट

प्ररूप - G
(देखिये नियम 6(1))
प्रथम अपील का प्ररूप

प्राप्ति संख्या
दिनांक
(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

सेवा में,
प्रथम अपील अधिकारी,
राजस्थान विधान सभा सचिवालय,
जयपुर ।

महोदय,

क्योंकि मुझे कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है/क्योंकि मैं राजस्थान विधान सभा सचिवालय के लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित हूँ, मैं एतद्वारा यह अपील फाइल करता हूँ । मेरे आवेदन की विशिष्टियां निम्न है :

1. अपीलकर्ता का नाम :
2. अपीलकर्ता का पता :
3. A- लोक सूचना अधिकारी का नाम :
लोक सूचना अधिकारी का पता :
B- विभाग/कार्यालय और पता :
C- निर्णय जिसके विरुद्ध अपील की गई है, :
विशिष्टियां, क्रमांक और दिनांक
4. प्ररूप-A में आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख :
5. सूचना का ब्यौरा :
A- चाही गई सूचना :
B- अवधि जिसकी सूचना चाही गई है :
6. प्ररूप-A में आवेदन प्रस्तुत करने के बाद :
30 दिन पूरे होने की तारीख
7. अपील प्रस्तुत करने के कारण :
A- प्ररूप-A में आवेदन प्रस्तुत करने की :
तारीख से 30 दिन में निर्णय नहीं हुआ

B- लोक सूचना अधिकारी के निर्णय तारीख से व्यथित :

8. अपील के आधार, केस के संक्षिप्त तथ्य :
9. अपील प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख :
10. चाही गई प्रार्थना/अनुतोष :

मैं एतद्वारा कथन करता हूँ कि उपरोक्त में दी गई सूचना एवं विशिष्टियां मेरे स्वयं के ज्ञान एवं विश्वास में सत्य है।

स्थान :

अपीलार्थी का नाम

दिनांक :

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

ई-मेल का पता
टेलीफोन नम्बर (कार्या.).....
(निवास)

----- यहां से काटिये -----

ओर से,

लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान विधान सभा सचिवालय,
जयपुर।

प्राप्ति संख्या : दिनांक :

श्री निवासी की अपील के आवेदन को जो राजस्थान विधान सभा के सूचना के अधिकार के नियम, 2007 के नियम 6(1) के अनुसार प्ररूप में है, को प्राप्त किया।

प्रथम अपील प्राधिकारी के कार्यालय के
प्राप्तकर्ता लिपिक के हस्ताक्षर
टेलीफोन नम्बर.....
ई-मेल पता
वेब साइट

